सत्यमेव जयते

# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

**राजभवन, पटना–800022**

**अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद**
**संख्या–58 (लो0सू0अ0)/2022–23**
**श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियॉ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियॉ, बिहार–845401**
**बनाम**
**लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना**

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| **21.11.2022** | श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियॉ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियॉ, बिहार–845401 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–15.11.2022 इस कार्यालय में दिनांक–17.11.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 869774 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।<br>अपीलकर्त्ता श्री लक्ष्मी नारायण झा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–21.10.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–.21.10.2022 .की प्रति संलग्न की है।<br>अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–21.10.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–.15.12.2022 को उपस्थापित करें।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>21/11/2022<br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**–सह–**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |

**अपील वाद संख्या–58 / 2022–23**

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 15.12.2022 | दिनांक–26.11.2022 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाॅ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाॅ, बिहार–845401 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–21.10.2022, जो दिनांक–02.11.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है।<br>प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–206 दिनांक–21.11.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक–21.10.2022 पर कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।<br>लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि कि श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाॅ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाॅ, बिहार–845401 द्वारा माँगी गयी सूचना / सुझाव लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना से संबंधित है, परंतु श्री झा आवेदन राज्यपाल सचिवालय, पटना को भेजते है तथा कृत कार्रवाई की सूचना राज्यपाल सचिवालय, पटना से माँग करते है। श्री झा से प्राप्त अन्य आवेदनों पर उच्चस्तरीय आदेश हेतु अलग से संचिका उपस्थापित की गयी है।<br>लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा जब माँगी गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है तो इस अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूंकि अपील सूचना / निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण दायर की गई थी। सभी संबंधित को सूचित करें।<br>ह० 15/12/2022<br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**–सह–**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |